<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-13/2016/1186/55-पर्या-16-56(रिट)/2016</u>

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
कृषि/परिवहन/ऊर्जा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/औद्योगिक विकास/नगर विकास/
आवास/पंचायती राज/भूतत्व एवं खनिकर्म/सिंचाई एवं जल संसाधन/लोक निर्माण/
परती भूमि विकास/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/
आबकारी/उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण/गृह/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2016

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित वादों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष दायर विभिन्न वादों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की दिनांक 11-03-2016 को एन0जी0टी0 में कार्यरत पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ताओं व अन्य विभागीय अधिकारियों के समक्ष समीक्षा की गयी।

2- वादों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों या लम्बित वादों में सामान्यतः एक से अधिक विभागों के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है। यह देखने में आ रहा है कि कतिपय मामलों में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है अथवा राज्य सरकार का पक्ष मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदेश शासन की संस्थाओं तथा कुछ मामलों में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के विरूद्व आदेश हो जाते हैं।

3- अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0जी0टी0 में अपने सम्बन्धित अधिवक्ता से तत्काल सम्पर्क कर मा0 अधिकरण में वादों का समयबद्व निस्तारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित कराएं। जिन प्रकरणों में एन0जी0टी0 वादों में पैरवी लम्बित बतायी गयी है, उनकी सूची संलग्न है।

4- कृपया इन सभी मामलों में तत्काल प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएं तथा एन0जी0टी0 में अपने अधिवक्ता से ज्ञात कर लें कि और कौन से प्रकरण हैं, जिनमें आपके स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित है।

एन0जी0टी0 में लम्बित मामलों में पैरवी की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। अतः कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28-03-2016 तक उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2016/1186(1)/55-पर्या-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।